SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, I am afraid, that is a matter, which has to engage the attention of the Finance Ministry. I am not in a position to address that question.

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय , मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि पहले जिस समय जयपाल रेडड्डी जी इंफोरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे तो ब्राडॅकास्टिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग अथोरिटी बनाना चाह रहे थे , फिर उसके बाद कन्वेर्जेन्स का दौर आया और यह तय किया गया कि कन्वर्जेन्स कमीशन बना दिया जाय , जिसके अंदर कांटेट भी रेगुलेट किया जाए , तो आज क्या वह ब्रॉडकास्टिंग अथोरिटी की बात सोच रहे हैं या कन्वर्जैस कमीशन की बात सोच रहे हैं ? देश को मालूम नहीं पड़ रहा हैं कि वास्तव में ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए सरकार कौन सी अथोरिटी लगना चाह रही हैं , एक सेपेरेट ब्रॉडकास्टिंग कौंसिल या ब्राडॅकास्टिंग अथोरिटी या कन्वर्जेन्स कमीशन बनाकर के ही वह कांटेंट रेगुलेट करना चाहेगी ?

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, there are two ways of going about it. One is through a separate Broadcasting Regulator, another through a Convergence Regulator. We are looking at both the proposals. We are also studying the emerging international pattern. After taking all these aspects into consideration, we will come forward with a proposal before the House.

NCERT text books in CBSE affiliated schools

*83. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that NCERT published text books are studied exclusively by students in the CBSE affiliated schools;

(b) the subjects in which NCERT books are exclusively prescribed and since when;

(c) number of times revisions, if any, carried out in the originally published books on the respective subjects;

(d) the procedure laid down and followed in carrying out such revisions on each occasion;

(e) whether NCERT book(s) on any subject are presently undergoing revision;

(f) if so, the details thereof; and

(g) the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (g) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) No, Sir.

(b) Subjects in which the NCERT books exclusively prescribed are:—

Classes-IX-X: English Language & Literature, Hindi Course A, Hindi Course B, Urdu Course A, Urdu Course B, Mathematics, Science and Technology, Social Sciences.

Classes-XI-XII: History

This was implemented with the introduction of the 10+2 scheme in 1975.

(c) The text books are updated on a regular basis, as per established practice. It may be mentioned that although NCERT prepared a few textbooks before 1975, it was with the introduction of the 10+2 scheme in 1975 that preparation/printing of textbooks for all classes I to XII was undertaken by NCERT.

(d) The NCERT Executive Committee, in its meeting on 9.1.1976, laid down the procedure for preparation of manuscripts of textbooks. Accordingly, Editorial Boards were constituted for the revision during the phase 1975-79. The books were authored by members of the Editorial Board, outside experts and members of the NCERT faculty.

During the second phase, a Central Advisory Board for Science and Mathematics, under the Chairmanship of Dr. CNR. Rao, the then Scientific Advisor to PM, was constituted and their proposals were considered by the Executive Committee in its meeting on 24.12.1986. Textbook writing teams, numbering six, with members drawn from internal faculty and outside, were formed to develop syllabi and textbooks (classes-VI to XII). For Social Sciences/languages (classes-VI to XII), the concerned departments of NCERT undertook the work, associating faculty as well as the outside experts in developing syllabi and textbooks.

As far as primary classes are concerned, the concerned departments of NCERT, with the help of outside experts, developed the syllabi and prepared the textbooks.

The final drafts of manuscripts were reviewed in workshops.

During the third phase 2001-04, Advisory Committees were constituted and the books were authored by teams including members of the Advisory Committee, outside experts and faculty members.

(e) to (g) NCFSE 2000 is due for review in 2004. However, in view of the controversy regarding social science/history textbooks of NCERT, a panel of eminent historians was constituted on 12 June, 2004, comprising Professors S. Settar, J.S. Grewal and Barun De.

The Terms of Reference of the panel were as follows:

'The issues of communalisation and inadequacies of history textbooks of the NCERT have engaged public and academic attention for a long time. These text-books have been mostly printed for the current year and in a substantial number of schools teaching works has already started, based on these books. It is, therefore, impractical to withdraw these books at this st3ge and replace them with more appropriate books without causing dislocation in the studies of millions of students. However, the same impracticability should not result in our children learning either communal views or distorted facts of history. Even as the processes are initiated to address the long term remedial measures, including reconstitution of Central Advisory Board of Edcuation (CABE) and the initiation of the process of curriculum frame-work review, as a short term measure, it has been considered necessary to do a quick review of these books by a panel of eminent historians of impeccable credentials, to suggest what needs to be done in the short term. If they so recommend, the Government will direct the NCERT and the CBSE to issue appropriate directions to the teachers to transact the curriculum as per those recommendations. In particular, the recommendations should be for removing distorted and communally biased portions and for inclusion of short passages which will fill in the gaps that some of these books are supposed to be having or could develop after the removal of the aforesaid mentioned passages. The three distinguished historians have been requested by the Government to submit their recommendations at the earliest so that the interventions could be made, if necessary, as early as possible, in the academic session that has already started in some schools in the country. Joint Secretary (School Education) in the Ministry of Human Resource Development will provide secretariat and logistics support to this group."

The panel has submitted its report. I regret to inform the House that the complaints made about the errors and biased nature of the books, have been found to be correct by the panel.

Among other things, the report brings out the following:

* The textbooks prepared since 2000 are 'so full of errors and sub-standard' that the panel finds it impossible to reocmmend their continuation. The errors are so many that rectification of each one of them is almost impossible.

* It also states that there is a common strand of bias that runs through the entire series. This bias gives more weight to Hindu religious practices and revival movements distinguished from other religious or modernizing traditions that have been, in the last one thousand years, as much, a part of India's composite culture as the ones of earlier origin.

* They, therefore, propose that a list of alternative reading material *viz.* books prepared by private publishers may be recommended for students of Class VI to X for the current academic year till alternative material prepared, through due process, is prepared by the NCERT in time for the next academic year.

* The Panel is aware of the fact that alternative material is unavailable for classes XI and XII at present. The three members have made suggestions that, either on the existing books or on reviving the old books, it would be necessary to issue proper advisories to teachers. Whereas, Prof. Barun De has suggested that, the book on 'Modern India' by Bipan Chandra for Class XII should be revived, if necessary, by updating it. Prof. Grewal has similarly suggested that the book on 'Medieval India' by Satish Chandra should be revived with a proper advisory. For the 'Ancient Period', Prof. Settar has suggested further scouting for alternative reading material.

The findings of the Committee have put the Government in a very difficult situation. On the one hand, because the panel has found the books to be of unacceptable quality and content, it is not appropriate to continue with them. On the other, the academic session has begun quite some time back in some schools and it would be unfair to students and techers to be asked to use different textbooks at this late stage. Making available alternative texts throughout the country will also pose serious problems of logistics and cannot be arranged in a satisfactory manner till very late in the academic session. At the moment, the Govemment is trying to address this serious dilemma which has been caused by the

distortion of history books. When the NCFSE was released in November 2000, it had neither the approval of the Executive Committee nor the General Body of the NCERT. It was also not endorsed by the Central Advisory Board of Edcuation (CABE).

The present Government has already constituted the CABE. It seeks to ensure that all the processes are duly followed which were undermined during the last few years.

As such, the recommendations of the panel of historians will be put up for consideration of the Executive Committee (EC) of the NCERT in its meeting on 14 July, 2004. While taking a decision, the EC will no doubt keep the interest of students as their foremost concern.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : सभापति महोदय , मंत्री महोदय ने अपना विस्तृत जवाब दिया है एन . सी. ई. आर .टी. की पाठयक्रम पुस्तकों में कुछ भाग बदलने या उसमें तब्दीली करने के बारे में यह सवाल उठा और श्रीमती अरूणा राय , जो अभी सेंट्रल एडवायजरी कौंसिल की सदस्या भी हैं , उन्होने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे सवाल उठाते हुए केस भी किया , पी. आई. एल फाइल की और जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की । उसमें जो मुख्य मुद्दा था रिजेक्ट करने का , वह यह था कि सेंट्रल एडवायजरी बोर्ड आफ एजुकेशन , जिसका गठन तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के किसी सरकारी आदेश के तहत हुआ था , जिसका गठन किसी कानून के तहत या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत नहीं हुआ और वह वर्ष 1994 तक कार्यरत रही । बार - बार उसी का यह सवाल सामने आ रहा है और अब भी इन्होंने कहा कि वह सीमित गठित की है । तो आखिर मंशा क्या है ? लोग कहते हैं आज का जवान या आज का बच्चा आने वाले भविष्य का एक अच्छा नागरिक है , उनको आप क्या पढ़ाना चाहते हैं ? .... (**व्यवधान**) .... यह सवाल आपके सिर के ऊपर से निकलने वाला है क्योंकि आप इसको सोच नहीं सकते हैं । .... (**व्यवधान**) ...

श्री सभापति : अहलुवालिया जी , क्वैश्चन पूछिए ।

श्री एस. एस. अहलुवालिया : सर , मैं सीधा सवाल करता हूं । .... (**व्यवधान**) .....

श्री सभापति : आप क्वेश्चन पूछ लीजिए । ... (**व्यवधान**) .... सुनिए , सुनिए सुनिए । आप सुनिए तो सही । ... (**व्यवधान**) ....

श्री एस. एस. अहलुवालिया : सर , वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री , जो पहले भी मानव संसाधन विकास मंत्री थे । जब इनके मंत्रिकाल मे ही बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जा रहा था , जिसमे सिख धर्म के खिलाफ , जैन धर्म के खिलाफ , जाटों के खिलाफ , ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था और भी बहुत सारी जातियों और धर्मो के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया था और भी बहुत सारी जातियों और धर्मों के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया था और नन्हे – नन्हे बच्चों के दिमाग में जहर घोला जा रहा थे , उसको आज जो हटाया गया , वह ठीक किया गया या गलत किया गया ? जब इन पुस्तकों को पास किया गया था

तो क्या आपने इन पुस्तको को देखा था और अगर नहीं देखा था , तो क्यों नहीं देखा था और आज उसमें आप कैसे कटौती करने जा रहे हैं ?

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM THAILAND

MR CHAIRMAN: Hon. Members, I have an announcement to make—

"We have with us, seated in the special box, Members of a Parliamentary Delegation *from* Thailand, *currently on* a visit *to our country* under the distinguished leadership of His Excellency, Mr. Uthai Pimchaichon, Speaker of the House of Representatives and President of the National Assembly of Thailand.

On behalf of the Members of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a hearty welcome to the Leader and other Members of the delegation and wish our distinguished guests an enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that during their stay here, they would be able to see and learn more about our Paliamentary system, our country and our people, and that their visit *to* this *country* will *further* strengthen the friendly bonds that exist between India and Thailand. Through them, we convey our greetings and best wishes to Parliament and the friendly people of Thailand".

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—(Cond.)

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय सभापति महोदय , माननीय सदस्य ने एक प्रकार से एक काल्पनिक पृष्ठभूमि में कुछ सवाल पूछे हैं । जहां तक " सी.ए.बी. ई. " के गठन और उसके इतने वर्षो तक कार्य करते रहने का सवाल है , बहुत – सी ऐसी संस्थाएं हैं जो 50 साल पहले बनी थीं , जब हम आजाद नहीं थे , लेकिन संशोधित और परिवार्तित रूप में वे काम कर रहीं हैं और आधुनिक संदर्भ में भी उनका काम देश सार्थक मानता है । " सी. ए. बी. ई. "भी इसी प्रकार की एक संस्था जी , जो शिक्षा के क्षेत्र में एक राष्ट्रव्यापी प्रतिनिधि सभा थी और जितनी भी बातें शिक्षा से संबंधित थी , उसमे उनके ऊपर एक राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम या राष्ट्रीय मत बनाने का काम हुआ करता था । अब उसे अगर किसी वजह से रोक दिया गया, वह एक अलग बहस का सवाल हैं कभी वह संदर्भ उठाया जाएगा तो उस बारे में भी मैं कहूंगा लेकिन यह कहना कि " सी.ए.बी. ई." का गठन अंग्रजों के टाइम में हुआ था , इसलिए अब उसकी कोई सार्थकता नहीं है , मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है

जहां तक इस बात का सवाल है कि किताबों में ऐसी कोई बात आ जाए , जो अनुचित हो , निश्चित रूप से उसकी तब्दीली होनी चाहिए । फर्क इतना है , सभापति महोदय, कि यह तब्दीली या परिवर्तन किस तरीके से हो । या तो हम मंत्री के रूप में अपने आप अधिकारों का उपयोग

करके वह सब सुधार करना शुरू कर दें, लेकिन मैं नहीं समझता कि वह उचित होगा , क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां एकाधिकार नहीं चलता है , वहां तो समन्वय से काम करना पड़ेगा और वह भी भारत जैसे देश में और उसी आधार पर जहां – जहां गलतियाँ हुई , उनको हटाया गया ।

सभापति महोदय , यहां भी जब आधुनिक संदर्भ में यह प्रश्न आया तो ही रास्ते थे । या तो मैं ऐक्जीक्यूटिव आदेश से इन पुस्तकों को बारे में एक निर्णय ले लेता कि जैसे उनको लाया गया है वैसे ही उनको हटा दिया जाए लेकिन मैंने यह उचित समझा कि इसके पहले कि मैं इसके ऊपर कोई आदेश दूं , हमे उस प्रकिया से जाना चाहिए कि जिनकी यह जिम्मेदारी है और उनका ज्ञान भी है , ऐसे विषयों पर अपनी राय बनाने का और देने का , उनके द्वारा ही इसका मूल्यांकन हो और उनके द्वारा ही जो राय सामने रखी जाए , उसका क्रियान्वयन भी हो और इसे हम उसी प्रक्रिया से करें जो प्रक्रिया इसके लिए पहले से विभाग में विद्यमान है और वही करने का हमारा इरादा है । हम किसी चीज़ को जज नही करना चाहते लेकिन कोई चीज ऐसे विद्वानों के द्वारा बताई जाए तो समाज के हित में नहीं है , शिक्षा के हित में नहीं है , तो सदैव उसको चलते रहने देना भी शायद उपयुक्त नहीं होगा । इसी प्रक्रिया के अंदर यह स्थिति आज बनी है जहां इन तीन विद्धानों का पैनल बना और उनकी राय आई है । उसे हम फिर से एन .सी. ई. आर . टी. में ले आएंगे और 14 तारीख की मीटिंग में उनकी जो राय बनेगी , उसके आधार पर आगे काम होगा ।

श्री एस . एस. अहलुवालिया : सभापति महोदय , मेरे पहले सवाल का ही जवाब नहीं आया है । मैंने कहा कि जो सिक्ख धर्म के खिलाफ .... (**व्यवधान**) ....

श्री संतोष बागड़ोदिया : सिर के ऊपर से चला गया .. . (**व्यवधान**) ...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : आप सब मंत्री हैं क्या .... (**व्यवधान**)....

SHRI S.S. AHLUWALIA: Are all these Ministers? *(Interruptions)* Are all these Ministers? *(Interruptions)* I am asking the Minister, Why are they responding to me?

श्री सभापति : बोलने दीजिए , आपको भी मौका मिलेगा .... (**व्यवधान**) ... बोलने दीजिए ... (**व्यवधान**) ....

SHRI S.S. AHLUWALIA: I have asked a very specific question. During his regime, when he was the Minister for Human Resource Development, there were certain derogatory remarks written in the history books against the Sikh religion, against Jats, against the Jain dharma, against Lord Mahavira, against Brahmins, and that were deleted by the previous Government. He has just now said that we have to take the same route. We have to go to the same historians to get the justification whether they were right or wrong. Why do you want to go back to that way? I have not got my reply for the first supplementary.

Now, my second supplementary is this. The Nurul Hasan Committee, when Nurul Hasan was the Education Minister from 1971 onwards, gave a report which you have referred to in part (d) of the reply stating that, "the NCERT Executive Committee, in its meeting on 9.1.1976, laid down the procedure for preparation of manuscripts of textbooks. Accordingly, Editorial Boards were constituted for the revision during the phase 1975-79. The NCERT was formed in 1976. The Editorial Boards were constituted for the revisions during phase 1975-79." Who were those Editors who were included? What were their names? Can you just name them? Can you disclose the names to the House and through the House to the entire nation that these are the people who were writing using derogatory remarks against the Sikh religion, against Lord Mahavira, against the Jet community, against Brahmins? Please, disclose that.

SHRI ARJUN SINGH: Sir, I would, only through your kind intervention, request the hon. Member not to get excited on these things and not to become a self-imposed censor on everything. *(Interruptions)*

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am not putting any censor. I am just asking a question. *(Interruptions)*

श्री दीपांकर मुखर्जी : बहुत बोल लिए , अब सुनो .... (**व्यवधान**) ....

SHRI ARJUN SINGH: Perhaps your knowledge is superlative and, therefore, I plead total ignorance about it. But if any such fact has entered any book, there is a process and procedure to remove it and, that is why, it was removed. But the only question that has arisen afterwards is that in that process it has been sought to be used against the procedures laid down in the NCERT and other things. And that has created all these things. For that, I only beg leave of the House, please do not politicise these things. When aberrations are found out, and they are identified by people who are masters of that subject, who are knowledgeable about that subject, the House should wait till that process is completed and then pass a judgment finally. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I have asked for the names. ...*(Interruptions)*... That is a part of the reply. You read it. ...*(Interruptions)*... You read it, Sir. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : हो गया । जो करना था कर चुके हैं । अब रहने दीजिए । ... (**व्यवधान**) ....

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I am not satisfied with the answer. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : आप अभी नाम दे सकते हैं ? ... (**व्यवधान**) .. .. एक मिनट बैठिए तो सही । ... (**व्यवधान**) ....

श्री कलराज मिश्र : उत्तर तो आया नहीं । अब आरोप लगा रहे हैं ... (**व्यवधान**) ... इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं । .... (**व्यवधान**) ...

प्रो. राम देव भंडारी : हम लोग शुद्धिकरण कर रहे हैं । ... (**व्यवधान**) ....

श्री सभापति : आप बैठिए । वह बोल रहे हैं । ... (**व्यवधान**) ... अगर आप नाम दे सकते हैं तो अभी दे दें । ... (**व्यवधान**) ...

श्री अर्जुन सिंह : आज तो नहीं दे सकता हूं लेकिन ये कोई सीक्रेट नाम नहीं हैं । मैं जरूर दे दूंगा । मैं निवेदन जो कर रहा हूं , वह दूसरा कर रहा हूं । उसे भी समझने की कोशिश करें । .... (**व्यवधान**) ....

SHRI BALBIR K. PUNJ: Sir, I want to know whether those derogatory remarks are to be restored. ...*(Interruptions)*... Mr. Chairman, Sir, I want to know whether those derogatory remarks against various religions and communities could be restored by the Government. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI SARLA MAHESHWARI: Sir, what is this? ...*(Interruptions)*... Sir, what is this? ...*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, he cannot seek a supplementary without your permission. ...*(Interruptions)*... Sir, he cannot seek a supplementary. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : आप बैठिए । आपका क्वेश्चन नहीं हैं । ... (**व्यवधान**) ... मैंने आपको अलाऊ नहीं किया । ... (**व्यवधान**) ... मैने किसी को अलाऊ नहीं किया । सिर्फ सरला माहेश्वरी जी बोलेंगी । ... (**व्यवधान**) ... अब बैठ जाइए । ... (**व्यवधान**) ... ठीक है । ... (**व्यवधान**) ...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : क्वेश्चन ऑवर में भी ऐसा कर रहे हैं । ... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : आप बैठिए । ... (**व्यवधान**) ... बैठिए , अभी क्वेश्चन ऑवर खत्म नहीं हुआ । अभी बोलने दीजिए ।... (**व्यवधान**) ....

श्रीमती सरला माहेश्वरी : माननीय सभापति महोदय , मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या वह सच है कि भारतीय इतिहास संस्था जोकि हमारे देश के इतिहासकारों की प्रमुख संस्था है .. (**व्यवधान**) ....

एक माननीय सदस्य : वामपंथी इतिहासकारों की ... (**व्यवधान**)...

श्री सभापति : उन्हें बोलने दीजिए। .... (**व्यवधान**) ....

श्रीमती सरला माहेश्वरी : आप चुप रहिए। इतिहासकार तो इतिहासकार है। .. (**व्यवधान**) ....

श्री सभापति : चाहिए , आप बोलिए , ... (**व्यवधान**) ....

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैंने कुछ कहा भी नहीं । तथ्य का उल्लेख कर रही हूं और वह भी उन्हें बर्दाश्त नहीं है। .... (**व्यवधान**)... माननीय महोदय , मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सच नहीं है कि भारतीय इतिहास संस्था , जो हमारे देश के इतिहासकारों की प्रमुख संस्था है , इस संस्था ने पिछली राजग सरकार के काल में इतिहास की पुस्तको के साथ छेड़छाड़ करने का अभियोग लगाया था। ... (**व्यवधान**) ....

श्री एस. एस. अहलुवालिया : यह जजमेंट पढो।.... (**व्यवधान**) ....

श्रीमती सरला माहेश्वरी : यह क्या बात है। .... (**व्यवधान**) ....

श्री सभापति : आप सुनिए तो सही। ... (**व्यवधान**) ...

श्री दीपांकर मुखर्जी : अगर इस बात पर वे ऐसा ही करेगें तो हम भी करेंगे।

श्री सभापति : मैं करने नही दूंगा । बैठिए। ... (**व्यवधान**)...

†मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी : मंत्री जी से सवाल कर रहे हैं। .... (**व्यवधान**)...

مولانا عبید اللہ خان اعظمی : منتری جی سے سوال کر رہے ہیں ------- مداخلت

श्रीमती सरला माहेश्वरी : इस संस्था के प्रमुख इतिहासकार इरुफान इबीब, सूबेदार जायसवाल और आदित्य मुखर्जी को लेकर क्या एक कमेटी गठित हुई थीं और क्या इस कमेटी ने , जो तमाम भूलें इतिहास की किताबो में की गयीं थीं और सिर्फ भूलें नहीं, उस कमैटी का निष्कर्ष यह था कि ये भूलें उस सरकार के दृष्टिकोण की वजह से है। .... (**व्यवधान**) ..

श्री सभापति : वह ठीक है। अब आगे सवाल पूछिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इस कमेटी ने अपनी अनुशंसाएं दी कि जो पुस्तकें थीं , उन पुस्तकों के हरेक पृष्ठ पर अशुद्धियां भरी हुई हैं। ... (**व्यवधान**) ....

श्री सभापति : हो गया। आपका प्रश्न आ गया ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : इसलिए उन पुस्तकों को शुद्ध नहीं किया जा सकता बल्कि उन पुस्तको को हटाया जाना ही एकमात्र निदान है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि साम्प्रदायिकता के इस जहर को , जिसके बारे में प्रेमचंद्र ने कहा था कि " गलत तवारीखे पढ़कर

†Transliteration of Urdu Script.

हिन्दु और मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं । " उन गलत तवारीखों को हटाए जाने का शुभ दिन कब आएगा ? .. . (**व्यवधान**) ...

श्री सभापति : बैठ जाइए । ... (**व्यवधान**) ... बस हो गया । बहुत हो गया। .... (**व्यवधान**)....

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय , प्रेमचंद के बाद भी हिन्दी साहित्य बहुत आगे बढ़ा है। सरला माहेश्वरी जी का ज्ञान प्रेमचंद के आगे बढ़ा ही नहीं है । यह हमेशा प्रेमचंद को कोट करती हैं । .... (**व्यवधान**) ...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : प्रेमचंद आपकी आंखों में खटक रहा है । ,... (**व्यवधान**)..

सभापति : अच्छा आप बैठ जाइए । आप बैठ जाइए । ... (**व्यवधान**) ... सरला जी बैठ जाइए । बोलने दीजिए । ... (**व्यवधान**) ... मंत्री जी बोल रहे हैं । उनको बोलने तो दीजिए । ... (**व्यवधान**)

श्री संजय निरूपम : चेयरमैंन साहब, मैं आभारी हूं कि प्रेमचंद को अभी तक इन लोगों ने लेफिस्ट साबित नहीं किया है ।

श्री सभापति : ठीक हैं । ... (**व्यवधान**)....

श्रीमती सरला माहेश्वरी : अगर प्रेमचंद को पढ़ लेते तो पता चलता कि प्रेमचंद ने खुद कहा था ... (**व्यवधान**) ....

श्री सभापति : फिर छेड़ दिया आपने । .... (**व्यवधान**) ....

श्रीमती सरला माहेश्वरी : **ये कब पढेंगे प्रेमचंद को** ?

श्री सभापति : बोलिए मंत्री जी । .... (**व्यवधान**) ....

श्री अर्जुन सिंह : आद रणीय सभापति महोदय... (**व्यवधान**) ....

श्री सभापति : आप बैठ जाइए । ... (**व्यवधान**) .... माननीय सदस्य ... (**व्यवधान**)... आप बैठिए । ... (**व्यवधान**) ... कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा । मेरी अनुमति के बिना जो सदस्य बोलेंगे , वह रिकॉर्ड में नही जाएगा । माननीय मंत्री जी , बोलिए ।

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय सभापति महोदय , सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति को दो आदरणीय महिलाओं के बीच में विवाद के रूप में नही पड़ना चाहिए , इसलिए मैं तो उसमें कुछ कहना नहीं चाहता हूं ।

श्री सभापति : उससे आपको क्या डर है ?

श्री अर्जुन सिंह : मुझे डर नहीं है । डरने का सवाल नहीं है लेकिन एक शिष्टता भी होती है । जहां तक इस प्रश्न का सवाल है , माननीय सभापति महोदय , यह जो पैनल बनाया गया था ,

इसमें प्रो सत्तार , प्रो. ग्रेवाल और प्रो. वरूण भी थे , जो इस देश के प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं और जिनके बारे मे अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा है ... (**व्यपधान**)..

एक माननीय सदस्य : एक पक्षीय है।

श्री अर्जुन सिंह : एक पक्षीय कदापि नहीं हैं।

श्री सभापति : आप क्यों टोक रहे हैं ?

श्री अर्जुन सिंह : और इसी प्रकार के आरोप लगाकर आप चाहते हैं कि ... (**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप बोलिए।

श्री अर्जुन सिंह : उन्होंने स्वयं सब चीज़ों को देखकर यह स्पष्ट सिफारिश की है कि उनकी राय में इन किताबों को बदलना चाहिए। सभापति महोदय , सवाल यह है कि मैंने केवल इतनी धृष्टता की है कि स्वयं आदेश देकर किताबों बदलने का काम नहीं किया हैं। हम यह चाहते हैं कि बदलने की प्रक्रिया भी उसी बॉडी के द्वारा की जाए जिसको इस बारे मैं पूरी तरह से जानकारी है और वह आगे की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर अपनी राय दें। इसलिए एन.सी. ई.आर.टी. के सामने 14 तारीख को यह राय जाएगी और वे जो फैसला देंगे। उस हिसाब से मैं सदन को भी बताऊंगा और काम भी करूंगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी , यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके उत्तर में जो बहुत सी बातें कहीं गई है , वह चीज़ों को प्रकाश में कम लाती हैं और छिपाती ज्यादा हैं। पहली बात तो यह है कि जब से पुरानी पाठ्यपुस्तकें लिखी गई , जिनका हवाला इसमें दिया गया हैं , वे कैसे लिखी गई और उनको कितनी बार रिव्यू किया गया ? अगर रिव्यू किया गया तो उसमें से ये आपतिजनक अंश क्यों नहीं निकाले गए ? इसका अर्थ यह है कि या तो रिव्यू ही नहीं हुआ या वे आपतिजनक अंश ठीक थे क्योंकि उनको पढ़ाया जाता रहा हैं। पच्चीस – छब्बीस साल तक जो चीज़ पढाई जाती रही हैं , जिसका उल्लेख अभी हमारे माननीय सदस्य ने किया , तो इन पच्चीस – छब्बीस सालों से सरकार , एन.सी.ई. आर.टी. , ये बुद्धिमान पैनल्स और ये अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्टोरियन्स क्या कर रहे थे। यानी इसका अर्थ यह है कि इसकी या तो पूरे तौर पर उपेक्षा की जा रही थी या इन चीजो को जान – बूझकर पढ़ाने देने की व्यवस्था की जा रही थी। यह स्थिति तब आई जबकि कुछ लोग उच्च न्यायालय में चले गए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या जब उ च्च न्यायालय में याचिका गई थी ... (**व्यवधान**) ....

श्री सभापति : आप क्वेश्चन कीजिए .... (**व्यवधान**) ....

श्री नीलोत्पल बसु : आप सवाल पूछिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी .: मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूं साहब । **....** (**व्यवधान**) **....**

श्री नीलोत्पल बसु : सवाल ही पूछिए न , भाषण मत दीजिए । **...** (**व्यवधान**) **.,..**

डा. मुरली मनोहर जोशी : भाषण नहीं दे रहा हूं , मैं सवाल ही पूछ रहा हूं । **...** (**व्यवधान**) **...** यह इतना बड़ा स्टेटमेंट हैं । **....** (**व्यवधान**) **....**

श्री नीलोत्पल बसु : आप भाषण ही तो दे रहे हैं सवाल पूछने के नाम पर । **...** (**व्यवधान**) **....** अब आप विरोधी पक्ष में हैं **...** (**व्यवधान**) **....**

डा. मुरली मनोहर जोशी : सम्माननीय सदस्य , ज़रा दिल थामकर सुनिए । जो कुछ आप लोगो ने करवाया है उस सरकार से , उसको बेनकाब होने के समय **...** (**व्यवधान**) **...**

श्री नीलोत्पल बसु : आप सवाल कीजिए न । **..** (**व्यवधान**) **...**

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी , यह गलत है । **...** (**व्यवधान**) **....** इनको बोलने का अधिकार कैसे है ? मैं आपका सरंक्षण चाहता हूं सभापति जी । **. ...** (**व्यवधान**) **...**

श्री सभापति : आप सीधे क्वेश्चन कीजिए । **...** (**व्यवधान**) **....**

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह कोई सामान्य सवाल नहीं है । इन्होंने जो स्टेटमेट दी है यह भ्रामक है । **...** (**व्यवधान**) **....**

श्री सभापति : यह सवाल नहीं है , सवाल यह है **...** (**व्यवधान**) **...** बैठिए , बैठिए **...** (**व्यवधान**) **...**

श्री नीलोत्पल बसु : सर , कुछ मैम्बर्स अपने को बदल नहीं पाए हैं । अब ये मंत्री नहीं हैं । **...** (**व्यवधान**) **,....**

श्री सभापति : आप क्वेश्चन कर लीजिए । यह क्वेश्चन आवर है । **...** (**व्यवधान**) **...**

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं क्वेश्चन ही करूंगा साहब । **...** (**व्यवधान**) **....**

श्री सभापति : यह क्वेश्चन आवर है इसलिए आप क्वेश्चन कर लीजिए । जो आप भूमिका बना रहे हैं , यह सब माननीय सदस्यों को पहले ही मालूम है । **...** (**व्यवधान**) **...**

डा. मुरली मनोहर जोशी : जी , नहीं । बहुत से माननीय सदस्य नए आए हैं । इनको मालूम नहीं है । **...** (**व्यवधान**) **....**

श्री सभापति : इसलिए तो आप बुलाया हैं । **...** (**व्यवधान**) **...**

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । **...** (**व्यवधान**) **...**

श्री सभापति : हां , यह सही हैं **.....** (**व्यवधान**) **....**

डा. मुरली मनोहर जोशी : देश की शिक्षा और इतिहास के साथ जिस प्रकार का अनाचार और अपमान किया जा रहा है , उसके बारे में यह बहूत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । ... (**व्यवधान**) ....

श्री सभापति : इसलिए तो मैं आपको बुलवा रहा हूं । .... (**व्यवधान**) ...

डा. मुरली मनोहर जोशी : वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । .... (**व्यवधान**) ....

श्री सभापति : क्वेश्चन कर लीजिए । क्वेश्चन कर लीजिए । ... (**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु : ये खुद बोल रहे हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है तो कम से कम हमको भी तो बोलने का मौका दीजिए .... (**व्यवधान**) ....

श्री सभापति : आप क्वेश्चन कर लीजिए । ... (**व्यवधान**) ... आप बैठिए , बैठिए । ... (**व्यवधान**) ... मेरा निवेदन यह हैं ... (**व्यवधान**)... एक मिनट, आप बैठ जाइए । ... (**व्यवधान**) .... इस पर बहुत से माननीय सदस्य प्रश्न पूछने वाले हैं इसलिए भूमिका बनाने की बजाए यदि आप इस पर क्वेश्चन कर लें तो ज्यादा ठीक है । .... (**व्यवधान**) ....

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसके ऊपर फुलफ्लैजृड डिसकशन करा लीजिए ।. .. (**व्यवधान**) ...

श्री सभापति : यदि आप लिखकर देंगे तो मैं बात कर लूंगा । .... (**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : इससे समाधान नहीं होगा । ,.. (**व्यवधान**)..

श्री सभापति : हां ठीक हैं , ठीक है । आएगा तो मैं देख लूंगा। ... (**व्यवधान**)....

डा. मुरली मनोहर जोशी : लिखकर दिया हुआ है । .... (**व्यवधान**)...

श्री सभापति : यह लिखकर दिया हुआ है तो फिर आप किस लिए पूछ रहे हैं ? ...
(**व्यवधान**)

डा. मुरली मनोहर जोशी : इसलिए पूछ रहे हैं कि आपने इसपर कोई रिप्लाई नहीं किया है । ... (**व्यवधान**) ... यदि आप सदन में इस पर पूरी बहस के समय निश्चित कर देंगे तो हम सवाल नहीं पूछेंगे । .... (**व्यवधान**) ....

श्री सभापति : मैं अगर – मगर के साथ नहीं चलता हूं । आपने नोटिस दिया हैं मैं उस पर विचार करूंगा । .... (**व्यवधान**) ...

श्री सुषमा स्वराज : सर, आप फुलफलैजड डिसकशन करा दीजिए । ... (**व्यवधान**)...

श्री सभापति : मैं अभी नही कह सकता । ... (**व्यवधान**) .... आपने जो नोटिस दिया हैं , मैं उसके ऊपर विचार करूंगा । ... (**व्यवधान**)....

डा. मुरली मनोहर जोशी : पांच – छः दिन हो गए हैं , साहब । …(**व्यवधान**) … मैं सवाल पूछूंगा तो आप जवाब तो दीजिए । ,…. (**व्यवधान**) …

श्री सभापति : मैं आपको यह कह रहा हूं … (**व्यवधान**) …

डा. मुरली मनोहर जोशी : देखिए , जब तक आप … (**व्यवधान**) …

श्री सभापति : आपने जो लिखकर दिया है मैं उस पर विचार करूंगा । … (**व्यवधान**)

डा. मुरली मनोहर जोशी : सदन में किसी को भ्रम में डालने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती है । … (**व्यवधान**) …

श्री सभापति : क्या ? … (**व्यवधान**) ..

डा. मुरली मनोहर जोशी : सदन के रिकार्ड पर भ्रामक तथ्य चले जाएं ओर उसके बारे में सदस्यों को कुछ पूछने का अधिकार न हो , यह तो कोई समाधान नहीं हैं । … (**व्यवधान**)..

श्री सभापति : मैं अधिकार को नहीं रोक रहा हूं । … (**व्यवधान**)…

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं प्रश्न कर रहा हूं । … (**व्यवधान**) …

श्री सभापति : मैं आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि बाकी के माननीय सदस्यों के अधिकार को भी सुरक्षित रख रहा हूं । …. (**व्यवधान**) …

डा. मुरली मनोहर जोशी : लेकिन माननीय सदस्यों को आप * का अधिकारी सुरक्षित करते हैं । … (**व्यवधान**) ….

श्री सभापति : * का नहीं , प्रश्न पूछने का । … (**व्यवधान**)…

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय , … (**व्यवधान**) …

श्री सभापति : यह रिकार्ड पर नहीं जा रहा है । … (**व्यवधान**) …

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, he is questioning your authority *(Interruptions).* It is an insult to the Chair. *(Interruptions).* He is questioning the authority of the Chair. *(Interruptions).*

श्री सभापति : आप बैठए , बैठिए । .. . (**व्यवधान**) …* शब्द निकाल दीजिए । .. .(**व्यवधान**) …

श्री नीलोत्पल बसु : ये इसके लिए माफी मांगे । …. (**व्यवधान**)…

श्री एस. एस. अहलुवालिया : हम वाक आउट कर रहें हैं । … (**व्यवधान**) …

डा. मुरली मनोहर जोशी : हम वाक आउट कर रहे हैं । … (**व्यवधान**)…

*Not recorded.

(At this stage some hon. Members left the Chamber.)

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF CULTURE (SHRI S. JAIPAL REDDY): Sir, it is wrong on the part of the Opposition Party to stage a walkout against the observation made by the Chair *{Interruptions).* They have staged a walkout against the observation of the Chair. It is very unhealthy.

श्री सभापति : आप इसकी चिंता छोड़िए । मैं देख लूंगा । ... (**व्यवधान**) ...

प्रो . राम देव भंडारी : इनको सविंधान में विश्वास नहीं है । ... (**व्यवधान**)...

DR. K. MALAISAMY: Sir, before going to the next question, kindly allow me to put my question.

"MR. CHAIRMAN: No, that question has been postponed. Now Q. No. 84.

*84. *[The questioner (SHRI SURESH BHARDWAJ) was absent for answer vide page 30.]*

*85. *[The questioner (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD) was absent for answer vide page 31.]*

Schemes for tribals in Kerala

*86. SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the media reports about the misery of tribals in Kerala;

(b) if so, the action taken in this regard;

(c) whether any study or steps have been initiated to prevent depletion of the bio-diversity in the region; and

(d) if so, whether any schemes have been initiated to provide land and work for the jobless tribals of Wayanad district of Kerala?

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI P. R. KYNDIAH): (a) and (b) Yes, Sir. This Ministry has advised the State Government to take all necessary steps to redress the miseries of tribals in Kerala.

(c) The programmes/schemes undertaken by the State Forest Department and Ministry of Environment and Forests aim towards prevention of depletion of the bio-diversity.